बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 153983 पटना, दिनांक 02/07/2013

ग्रा0वि0- 08(थ0)-22/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगडिया, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, एवं नवादा ।

विषय :- मनरेगा MIS पर प्रविष्ट काम की मांग को Delete किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले मजदूरों की ऑनलाईन मांग सृजन का दायित्व वसुधा केन्द्रों को दिया गया है, तदनुसार उन्हें Kiosk की सुविधा देकर User ID एवं Password दिया गया है ।

2. आप यह भी अवगत हैं कि सृजित मांग के अनुरूप 15 दिन के अंदर रोजगार देना मनरेगा तंत्र की जिम्मेदारी है ।
3. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संलग्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायतों में वसुधा केन्द्रों के माध्यम से सृजित मांग को Delete कर दिया गया है ।
4. इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृजित मांग के अनुरूप कार्य तो नहीं ही दिया बल्कि बेरोजगारी भत्ते का भी भुगतान नहीं किया । यह मनरेगा अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है । यह संबंधित मनरेगा कर्मी की अधिनियम के कार्यान्वयन में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास है ।
5. सम्यक विचारोपरांत विभाग के स्तर से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पंचायत रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त करके एक महीने के अंदर उन्हें पदमुक्त करने के बिन्दु पर विभाग को अवगत कराएं ।
6. संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को पर्यवेक्षण के अभाव को प्रथमत: दोषी मानते हुए उनसे भी स्पष्टीकारण प्राप्त करके एक महीने के अंदर इनके विरूद्ध भी उचित कार्रवाई करने का निर्णय लें और विभाग को अवगत कराएं ।
7. भविष्य में आपके स्तर से सघन अनुश्रवण होना चाहिए और सृजित मांग के Deletion का कोई दृष्टांत नही होना चाहिए । यह अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है, जिसमें जिलें के उच्चतम स्तर से प्रभावकारी कार्रवाई अनिवार्य है ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

D:\06-0m.k All in One\आवेदन हिन्दी\mk\Application 1.doc